न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(श्री राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2019
दायर दिनांक :– 13/03/2019
निर्णय दिनांक :– 19/11/2019

अनवान

राज्य सरकार जरीये तहसीदार कुंवारिया (राजसमन्द)

प्रार्थी

बनाम

श्री नारायण पिता डालु भील, श्री माला पिता नारायण भील, श्री भेरा पिता नारायण भील नि0 बागपुरा तहसील कुंवारिया (फौत) वारिसान

1. श्री देवीलाल पुत्र माला भील नि0 खाखरमाला बागपुरा तहसील कुंवारिया
2. श्री मदनलाल पुत्र माला भील नि0 खाखरमाला बागपुरा तहसील कुंवारिया
3. श्री लालुराम पुत्र माला भील नि0 खाखरमाला बागपुरा तहसील कुंवारिया
4. श्रीमती मांगीबाई पत्नी माला भील नि0 खाखरमाला बागपुरा तहसील कुंवारिया
5. श्री मोती पिता नारायण भील नि0 खाखरमाला बागपुरा तहसील कुंवारिया
6. श्री शंकरलाल पिता भेरा भील नि0 खाखरमाता बागपुरा तहसील कुंवारिया
7. श्री महेन्द्र पिता भेरा भील नि0 खाखरमाला बागपुरा तहसील कुंवारिया
8. श्रीमती सोहनीबाई पत्नी अर्जुनलाल भील नि0 ओडा तहसील रेलमगरा
9. श्रीमती पुष्पा पत्नी भेरा भील नि0 खाखरमाला बागपुरा तहसील कुंवारिया
10. श्री मोहन पिता नारायण भील नि0 खाखरमाला बागपुरा तहसील कुंवारिया
11. श्री कालु पिता नारायण भील नि0 खाखरमाला बागपुरा तहसील कुंवारिया
12. श्रीमती कंवरी बाई पत्नि हरा भील नि0 गारियों का मोहल्ला,एमडी त0 राजसमन्द
13. श्रीमती देऊबाई पत्नी गणेश भील नि0 चान्दपोल मोहल्ला कांकरोली त0 राजसमन्द
14. श्रीमती नानीबाई पत्नी चम्पालाल भील नि0 भैरूजी के पास आसोटिया त0 कांकरोली
15. श्रीमती परबुबाई पत्नी धुलाजी भील नि0 तरसींगडा तह राजसमन्द

अप्रार्थी

<u>रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956</u>

उपस्थित :–

1– श्री कैलाश चन्द्र बोलिया, राजकीय अधिवक्ता ।
2– श्री अब्दुल हकीम चुडीगर, अधिवक्ता अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार, कुंवारिया (राजसमन्द) ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बागपुरा तहसील कुंवारिया में स्थित भूमि खसरा नम्बर 935/294 रकबा 1–05 किस्म बारानी 3 बीघा भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है। गत बंदोबस्त सम्वत् 2022 में आ0न0 364 रकबा 59–09 बीघा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त नाला अंकित थी । उक्त आ0न0 935/294 मेसे रकबा 1–05 बीघा भूमि वर्तमान में श्री नारायण पिता डालू जाति भील निवासी बाघपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड थी श्री नारायण की मृत्यु होने पर भूमि उसके वारिसानों के नाम दर्ज रेकार्ड है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की

खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02-08-04 के बिन्दु संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों के खातेदारी भूमि के अर्जन के संबंध में निर्देश दिये है कि राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकीन दर्ज भूमि झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भुत नहीं होते है । अतः यदि ऐसी भूमियों पर निजी खातेदारी दर्ज है तो उक्त कार्यवाही राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा, 88 एवं राज0कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरित है, अतः धारा 82 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों पर दी गयी निजी खातेदारी निरस्त की जानी चाहिए । अतः उक्त भूमि खातेदारो के नाम से हटा कर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नाला दर्ज करवायी जावें ।

अप्रार्थीगण के विरूद्व रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । सूचना पत्र विधिवत तामील होकर संलग्न पत्रावली है । अप्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता श्री अब्दूल हकीम जूडीगर का अधिकार पत्र पेश किया गया । अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि विवादित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में आने से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता । न्यायालय विधिवत नियमानुसार जो भी कार्यवाही करेगी, मुझे मन्जूर है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि जमाबंदी सम्वत् 2031 से 2034 में आ0न0 294 रकबा 36 बीघा 13 बिश्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार नाला दर्ज रेकार्ड थी जो रेकार्ड से प्रमाणित है । इसके बाद उक्त भूमि को श्री नाथू पिता भेरा भील निवासी बागपुरा तहसील राजसमन्द के नाम से नियमित कर दिया गया । माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02-08-04 के बिन्दु संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों के खातेदारी भूमि के अर्जन के संबंध में निर्देश दिये है कि राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकीन दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भुत नहीं होते है । अतः यदि ऐसी भूमियों पर निजी खातेदारी दर्ज है तो उक्त कार्यवाही राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा, 88 एवं राज0कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरित है, अतः धारा 82 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों पर दी गयी निजी खातेदारी निरस्त की जानी चाहिए । अतः उक्त भूमि खातेदारो के नाम से हटा कर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नाला दर्ज करवायी जाने हेतु रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे । अतः अप्रार्थी के नाम अंकित भूमि को अप्रार्थी के नाम से हटा कर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नाला अंकित किया जावें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्व ग्राम बागपुरा तहसील कुवारियां में स्थित भूमि खसरा नम्बर 935/294 रकबा 1-05 बीघा भूमि को अप्रार्थी श्री नारायण पिता डालू भील (फौत) के वारिसानों के नाम हटा कर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नाला राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की दुरूस्ती के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल ,अजमेर में रेफेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

प्रतिलिपित जिला कलक्टर जिला-राजसमन्द

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द